पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2860
दिनांक: 14.12.2025

"चप्पे-चप्पे पर है लखनऊ पुलिस की नज़र — सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

- *सोशल मीडिया पर वायरल थार स्टंट वीडियो का लखनऊ पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया।*
- *थाना गौतमपल्ली पुलिस की त्वरित कार्यवाही, स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार।*
- *महिन्द्रा थार वाहन (UP-32-RB-4048) मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज।*
- *सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्टंट कर कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास।*
- *अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक व विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा गया।*
- *लखनऊ पुलिस की सख्त चेतावनी—स्टंट व रैश ड्राइविंग पर होगी कठोर कार्यवाही।*

लखनऊ: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें एक युवक द्वारा जनपद के अत्यंत व्यस्त चौराहे पर महिंद्रा थार वाहन से खतरनाक स्टंट किया जा रहा था, का **लखनऊ पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान** लिया गया। आमजन की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस घटना पर **थाना गौतमपल्ली पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही** करते हुए संबंधित **युवक को गिरफ्तार कर वाहन को सीज** किया।

घटना एवं पुलिस कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में, **पुलिस उपायुक्त (मध्य)** एवं **अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य)** महोदय के कुशल पर्यवेक्षण तथा **सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगंज** के निर्देशन में **थाना गौतमपल्ली पुलिस टीम द्वारा** दिनांक 14.12.2025 को **वायरल वीडियो में प्रदर्शित महिंद्रा थार वाहन संख्या UP 32 RB 4048** की तलाश एवं रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में चौकी जियामऊ प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार मय हमराही पुलिस बल द्वारा 1090 चौराहा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान समतामूलक चौराहे की ओर से आ रहे संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन का नंबर चेक करने पर वह सोशल मीडिया पर वायरल **वीडियो में दर्शित वाहन से मेल खाता** पाया गया।

पूछताछ व विधिक कार्यवाही-

वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम **दिलीप रावत पुत्र राम अवतार, निवासी नत्थूखेड़ा, पोस्ट जिंदारधड़ी, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष** बताया। ***वाहन का पंजीकरण भी उसके नाम पर पाया गया।***

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2867
दिनांक- 14.12.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना-पारा

- **थाना पारा पुलिस व सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन की संयुक्त टीम द्वारा सदरौना काशीराम कालोनी में महिला को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा , 03 अदद जिन्दा कारतुस, 01 अदद खोखा कारतुस व 01 अदद स्कार्पियो वाहन बरामद**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.12.2025 को वादिनी श्री राधिका थापा पुत्री स्व0 बुद्धिबहादुर थापा निवासी किराये का मकान मकान नं0 14/13 कांशीराम कालोनी सदरौना थाना पारा लखनऊ, द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें वादिनी की बहन लक्ष्मी थापा उर्फ लवली को विपक्षी आकाश कश्यप पुत्र राकेश नि0 गौरी बाजार द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मारने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 857/2025 धारा 333/109(1) बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ में

आज दिनांक 14.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त व प्रकाश में आये अभियुक्त 1. आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी सूरज पल्ली गौरी थाना सरोजनी नगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष, 2. शिवम कश्यप पुत्र राम सागर निवासी गुड़ियन खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष को जीरो प्वांइट आगरा एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा, 03 अदद जिन्दा कारतुस, 01 अदद खोखा कारतुस व 01 अदद स्कार्पियो वाहन बरामद। बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 352/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही का जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी सूरज पल्ली गौरी थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
2. शिवम कश्यप पुत्र राम सागर निवासी गुड़ियन खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

03-बरामदगीः-

- एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर
- 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
- घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन स्कार्पियो काला रंग नं0 UP32QJ8883

04-अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 857/2025 धारा 109(1)/352/351(3)/333/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पारा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना पारा पुलिस टीम का विवरण	सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन टीम का विवरण
1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक 2. उ0नि0 श्री मुन्ना लाल चौकी प्रभारी हंसखेड़ा 3. उ0नि0 श्री सूबे चन्द्र यादव 4. उ0नि0 श्री अमित कुमार 5. उ0नि0 श्री हर्ष यादव 6. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव 7. हे0का0 अजय सिंह 8. का0 बलराम थाना 9. का0 बादल थाना	1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार सर्विलांस सेल 2. हे0का0 वीर सिंह सर्विलांस सेल 3. हे0का0 प्रदीप तिवारी सर्विलांस सेल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2868
दिनांक -14/12/2025

जोन- दक्षिणी /थाना बिजनौर

- **रेकी कर बन्द मकानों में चोरी करने वाले 04 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद चाँदी के सिक्के, 2,190/- रुपये, चोरी करने के उपकरण बरमाद एवं 01 अदद ऑटो रिक्शा बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.11.2025 को वादी श्री कमल किशोर त्रिपाठी पुत्र भुवन चन्द्र त्रिपाठी निवासी म0 न0- 309 एल्डिको शौर्य कालोनी थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत दिनांक 17.11.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा के मकान का दरवाजा तोड़कर जेवर व नकदी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 29.11.2025 को मु0अ0सं0 0329/2025 धारा 305(a) बी.एन.एस.थाना बिजनौर लखनऊ पंजीकृत हुआ जिसमें माल व मुल्जिमान की तलाश पतारसी की जा रही थी।

आज दिनांक 14/12/2025 को मुखिबर की सूचना के आधार पर अलीनगर खुर्द अण्डरपास के नीचे चोरी करने वाले चार अभियुक्तगण 1.दुर्गेश धुरू पुत्र राम चरन उम्र करीब-19 वर्ष मूल निवासी-गाँव चरगवाँ थाना नवाँगढ जनपद बेमेतारा राज्य छत्तीसगढ़ हालपता-केसरी खेड़ा फाटक के पास मोनू के मकान पर किरायेदार थाना कृष्णानगर लखनऊ 2. करन राठौर पुत्र श्री पाल राठौर निवासी-गणेश पुर फाटक के पास पाठक के मकान मे किराये पर थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब-24 वर्ष 3. दीपांशू सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह निवासी-न्यू इन्द्रिरापुरी भोलाखेडा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब-25 वर्ष 4. प्रिंयाशू कश्यप पुत्र अरविन्द कुमार कश्यप निवास सिद्धू नगर सासौवीर मन्दिर के पास थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब-25 वर्ष गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गया माल बरामद कर रेकी करने में प्रयुक्त ऑटो को बरामद कर नियमानुसार फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा विवेचनात्मक कार्यवाही कर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02- पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग किसान पथ के आसपास बंद मकानों की ऑटो के माध्यम से रेकी करते थे एवं जिन घरों में किसी के न होने की आशंका होती उन घरों को चिन्हित कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2860
दिनांक: 14.12.2025

"चप्पे-चप्पे पर है लखनऊ पुलिस की नज़र — सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

- *सोशल मीडिया पर वायरल थार स्टंट वीडियो का लखनऊ पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया।*
- *थाना गौतमपल्ली पुलिस की त्वरित कार्यवाही, स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार।*
- *महिन्द्रा थार वाहन (UP-32-RB-4048) मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज।*
- *सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्टंट कर कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास।*
- *अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक व विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा गया।*
- *लखनऊ पुलिस की सख्त चेतावनी—स्टंट व रैश ड्राइविंग पर होगी कठोर कार्यवाही।*

लखनऊ: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें एक युवक द्वारा जनपद के अत्यंत व्यस्त चौराहे पर महिंद्रा थार वाहन से खतरनाक स्टंट किया जा रहा था, का **लखनऊ पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान** लिया गया। आमजन की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस घटना पर **थाना गौतमपल्ली पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही** करते हुए संबंधित **युवक को गिरफ्तार कर वाहन को सीज** किया।

घटना एवं पुलिस कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में, **पुलिस उपायुक्त (मध्य)** एवं **अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य)** महोदय के कुशल पर्यवेक्षण तथा **सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगंज** के निर्देशन में **थाना गौतमपल्ली पुलिस टीम द्वारा** दिनांक 14.12.2025 को **वायरल वीडियो में प्रदर्शित महिंद्रा थार वाहन संख्या UP 32 RB 4048** की तलाश एवं रोकथाम हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में चौकी जियामऊ प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार मय हमराही पुलिस बल द्वारा 1090 चौराहा क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान समतामूलक चौराहे की ओर से आ रहे संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन का नंबर चेक करने पर वह सोशल मीडिया पर वायरल **वीडियो में दर्शित वाहन से मेल खाता** पाया गया।

पूछताछ व विधिक कार्यवाही-

वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम **दिलीप रावत पुत्र राम अवतार, निवासी नत्थूखेड़ा, पोस्ट जिंदारधड़ी, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष** बताया। ***वाहन का पंजीकरण भी उसके नाम पर पाया गया।***

वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी एवं वाहन के प्रपत्र मांगे जाने पर चालक उत्तेजित होकर बहस एवं शांति भंग करने पर आमादा हो गया। मौके **पर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका** को देखते हुए, संज्ञेय अपराध की प्रबल संभावना के कारण अभियुक्त को कारण बताकर समय करीब **रात्रि 01:10 बजे धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अंतर्गत पुलिस हिरासत में लिया गया।

उक्त **महिंद्रा थार वाहन संख्या UP 32 RB 4048** को धारा **207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज** किया गया। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- **नाम:** दिलीप रावत पुत्र राम अवतार
- **निवास**: नत्थूखेड़ा, पोस्ट जिंदारधड़ी, थाना रहीमाबाद, लखनऊ
- **उम्र:** लगभग 28 वर्ष
- **व्यवसाय**: इंटीरियर डिज़ाइनर (लखनऊ)

लखनऊ पुलिस की अपील / चेतावनी-

लखनऊ पुलिस आमजनमानस से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों व व्यस्त सड़कों पर किसी भी प्रकार का स्टंट न करें। इस प्रकार की लापरवाह एवं गैर-जिम्मेदार हरकतें न केवल स्वयं के जीवन के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य नागरिकों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।

लखनऊ पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक शांति, कानून व्यवस्था एवं यातायात सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि पर तत्काल संज्ञान लेते हुए निर्णायक कार्यवाही की जाएगी।

— पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

04-अभियुक्तगण का विवरण-

01-बदर कुमार पुत्र जमुनादास नि० फ्लैट न० 204, बोंदीवाली ईस्ट थाना मानपाड़ा जनपद ठाणे महाराष्ट्र उम्र 71 वर्ष
02-शालुम चिंचोंकर पुत्र हेल्याहु नि० ग्राम सेंधवा थाना सेधवा जनपद ,बड़वानी मध्यप्रदेश उम्र 45 वर्ष
03-पांडुरंग गणपत पवार उम्र पुत्र गणपत पवार नि० करणजाड़ी, माहड़, रायगढ़ महाराष्ट्र उम्र 75 वर्ष
04-मंगेश भाऊ सुर्वे पुत्र श्री भाऊ सुर्वे नि० माहड़, रायगढ़, महाराष्ट्र उम्र 33 वर्ष

05-बरामदगी-

- 04 अदद पीली धातु के चमकीली धातु से जडे कंगन

06-अनावरित अभियोग --

01-मु0अ0स0 561/2025 धारा 305ए/317 बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे मे जानकारी की जा रही है।

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना गोमतीनगर	क्राईम /सर्विलांस सेल पूर्वी जोन
➤ उ0नि0 राजन केसरी	➤ उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया
➤ उ0नि0 हेमंत कुमार	➤ मु0अ0 संदीप पाण्डेय
➤ उ0नि0 दीपक कुमार यादव	➤ मु0आ0 अमित सिंह
➤ उ0नि0 आनंद कुमार यादव	➤ आरक्षी तरनजीत सिंह
➤ का0 आकाश यादव	➤ आरक्षी विमल चंद्र पाल
➤ का0 सूर्यप्रताप सिंह यादव	➤ आरक्षी प्रदीप कुमार
➤ का0 शुभम कुमार	➤ आरक्षी शिवानंद खरवार
	➤ आरक्षी अजय यादव

.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2866

दिनांक 14.12.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित व 03 नफर NBW वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही:-

थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.12.2025 को 1. राजेन्द्र गौतम पुत्र औसान निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ संबंधित मु0अ0सं0 130/11 धारा 279/304ए/427 आईपीसी थाना गोसाईगंज लखनऊ 2. नन्हकई पुत्र बंशीलाल गौतम निवासी ग्राम बेली खुर्द थाना गोसाईगंज लखनऊ संबंधित केस न0 47548/16 धारा 323/504 आईपीसी थाना गोसाईगंज लखनऊ 3. रामकुमार पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बस्तिया थाना गोसाईगंज लखनऊ संबंधित मु0अ0सं0 312/12 धारा 324/325/504 आईपीसी थाना गोसाईगंज लखनऊ तथा मु0अ0सं0 507/25 धारा 316(5)/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र अब्दुल अजीज निवासी अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता फ्लैट नं0 1010 रायल प्लाजा आई0टी0 पार्क – 2 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार वांछित अभियुक्त

1.मो0 शमीम पुत्र अब्दुल अजीज निवासी अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता फ्लैट नं0 1010 रायल प्लाजा आई0टी0 पार्क – 2 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ (मु0अ0सं0 507/25 धारा 316(5)/351(3) बीएनएस)

03-गिरफ्तार NBW अभियुक्त

1.राजेन्द्र गौतम पुत्र औसान निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ (मु0अ0सं0 130/11 धारा 279/304ए/427 आईपीसी)

2.नन्हकई पुत्र बंशीलाल गौतम निवासी ग्राम बेली खुर्द थाना गोसाईगंज लखनऊ (केस न0 47548/16 धारा 323/504 आईपीसी)

3.रामकुमार पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बस्तिया थाना गोसाईगंज लखनऊ (मु0अ0सं0 312/12 धारा 324/325/504 आईपीसी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम लखनऊ कमि0